फैक्स नं0. 0522–2286643
☎ नं0. 0522–2287701

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

सं0: 1048 –मा0सं0प्र0–02 / उनिलि / 2012– 50–मा0सं0प्र0–02 / 2007 दिनांक : 17 मई, 2012

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 16.05.2012 को हुई बैठक में एतद्द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

1. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0: 2608 / 2011 में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 के आलोक में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी की गयी अधिसूचना सं0: 4 / 1 / 2002 टी0सी0–1–का–2 / 2012 दिनांक 08.05.2012 का संलग्नक सहित अंगीकृत किया जाता है, जिसके मुख्य आदेश बिन्दु निम्न है :–

(क) पदोन्नति के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अब आरक्षण देय नहीं है।

(ख) जिन संवर्गों / पदों की ज्येष्ठता सूचियाँ, ज्येष्ठता नियमावली के नियम–8 'क' के आधार पर परिणामिक ज्येष्ठता देते हुए निर्गत की गयी हो, उनमें से परिणामी ज्येष्ठता का लाभ समाप्त करते हुए ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार उन्हें संशोधित / परिवर्धित कर लिया जायें।

(ग) पदोन्नति के अवसर पर प्रथक–प्रथक तीन पात्रता सूचियों के स्थान पर यथा ज्येष्ठता एकल पात्रता सूची का निर्माण करते हुए पदोन्नति की कार्यवाही की जाये।

(घ) पदोन्नति के प्रक्रम पर आरक्षण का लाभ प्रदान करने विषयक उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में यथा प्रयोज्य समस्त परिषदादेश / निगमादेश एवं रोस्टर भी निरस्त किये जाते हैं।

2. उक्त के फलस्वरूप निगम द्वारा पूर्व में जारी आदेश सं0: 665–मा0सं0प्र0–02 / उनिलि / 2008, दिनांक 10.04.2008 को उसके प्रभावी तिथि 17.06.1995 से निरस्त किया जाता है।

3. पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद के पत्रांक 1051–आ0अनु0 / राविप / 94–10(14)आर0एस0 / 93, दिनांक 16.05.1994 द्वारा अंगीकृत उ0प्र0 सरकार के पत्रांक 01 / 01 / 94–का–1 / 1994 दिनांक 11.02.1994 के साथ संलग्न अधिसूचना सं0: 265 / सत्रह–वि–1–2(क)5–1994, दिनांक 11.02.1994 द्वारा अधिसूचित उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा–3(7) (पदोन्नति में आरक्षण सम्बन्धी) को निरस्त किया जाता है। उक्त परिषदादेश के अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मंडल की आज्ञा से

सं0: 1048 –(1)–मा0सं0प्र0–02 / उनिलि / 2012, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर ।
(2) निदेशक(कार्मिक) / (तकनीकी) / (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
(3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमशः................2

(4) मुख्य अभियन्ता (स्तर–।/।।), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/कासिमपुर(अलीगढ)/पनकी(कानपुर) ।

(5) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(6) मुख्य अभियन्ता, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन, (मा0सं0)/(ईंधन)/(सुरक्षा एवं पर्यावरण)/(जानपद)/(वाणिज्य)/(आर0एण्डएम0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

(7) महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(8) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(9) अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, मा0सं0–01/02/03/04/05/06/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ

(10) अधीक्षण अभियन्ता(प्रशिक्षण), कक्ष सं0: 906, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु ।

(11) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

(12) मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(13) समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/वरिष्ठ लेखाधिकारी/कार्मिक अधिकारी/लेखाधिकारी (वि0 एवं ले0)/(पेंशन)/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,लखनऊ।

(14) कट फाइल ।

आज्ञा से,

(वी0पी0 कटियार) 17/5/2012

अधीक्षण अभियन्ता(मा0सं0–02)